2017/00090

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीकन्हैयालाल स्वामी आर ०ए०एस)

मु0 संख्य 31 / 2017

प्रार्थी खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर	बनाम	अप्रार्थी 1- राजेन्द्रकुमार पुत्र जामनदास भूतडा मेसर्स तरूण किराणा स्टोर जैसलमेर 2- मेसर्स तरूण किराणा स्टोर दुकान न0 4 अमरसागर गेट के बाहर जैसलमेर

(अपराध अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) एफ.एस.एस एक्ट 2006 नियम 2011)

–::, आदेश ::– दिनांकः 24.10. 2017

1. श्रीलक्ष्मीकान्तगुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006व नियम 2011के तहत् न्याय निर्णयन आवेदन निम्न प्रकार पेश किया किः–यह है कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में खादय सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खादय सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खादय सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर आंवटित किया गया है और जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2 यह है कि अभियुक्त, 1- राजेन्द्रकुमार पुत्र जामनदास भूतडा मेसर्स तरूण किराणा स्टोर जैसलमेर2- मेसर्स तरूण किराणा स्टोर दुकान न0 4 अमरसागर गेट के बाहर जैसलमेर है ।

3 यह है कि दिनांक 25.10.2016 को 1पी.एम. मेसर्स तरूण किराणा स्टोर दुकान न0 4 अमरसागर गेट के बाहर जैसलमेर का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान दुकान संस्थान पर राजेन्द्रकुमार पुत्र जामनदास भूतडा मेसर्स तरूण किराणा स्टोर जैसलमेर पर कारोबार कर रहा था जिसका विकेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/पंजीयन दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर उपलब्ध था, जो कि उसने दिखाया, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

4 यह है कि खादय सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल anchor brand, एक एक लीटर के 6 पैक बोतल में मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विकेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रतिं मौके पर मालिक विकेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् के 4 पैक

नमूने वास्ते लिये, जिसके पेटे 340 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

5 यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद सुदा एक एक लीटर सरसों का तेल anchor brand की बोतलो को मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना बोतलो पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोंड एवं सिरीयल नम्बर एन– 634 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। एवं नमूनो बोतलो की पर अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–634 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लोप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील सें मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ सरसों का तेल anchor brand का विवरण एन–634 लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनो भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होनें पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

6यह है कि आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खादय विश्लेषक जोधपुर कोमेरे द्वारा दिनांक 25.10.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7 यह है कि खादय सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक / एफएसएसएँ / 2016 / 28303–305 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खादय विश्लेषक खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1301/Act/2016/1333 दिनांक 16.11.2016 अनुसार उक्त नमूना सब स्टेण्डर्ड व मिथ्याछाप होना पाया गया है खादय विश्लेषक जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8 यह है कि आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक / एफएसएसए / 2017 / स्वी. / एन–634 / 24358 दिनांक 20.9.2017 के द्वारा आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

9यह है कि उक्त केस में विक्रेता एवं मालिक **राजेन्द्रकुमार पुत्र जामनदास भूतडा मेसर्स तरूण किराणा स्टोर जैसलमेरदुकान न0 4 अमरसागर गेट के बाहर जैसलमेर** द्वारा सरसों का तेल anchor brand का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

10 श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगाशा तथा सलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर इस्तगाशा दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल दिनांक 13.10.17 को उपस्थित हुवा तथा लिखित में प्रार्थना पत्र निम्न अनुसार पेश कर निवेदन किया :–

1– यह कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार जामनदास भूतडा तरूण किराणा स्टोर अमरसागर गेट के बाहर जैसलमेर में अपनी किराणा की दुकान चलाकर जीवन यापन करता है ।

2– प्रार्थी की दुकान में सेम्पल जॉच करनें आये अधिकारी को पूर्ण सहयोग कर सेम्पल जॉच करवाया गया था । प्रार्थी द्वारा पैक माल सरसों का तेल विक्रय किया है ।

3– सेम्पल जॉच में किसी प्रकार की मिलावट या नमूना अखाद्य मिलावट नही पाया गया है निर्माण कर्ता कीी गलती से केवल मिथ्या छाप की कमी पाई गई है जिसके लिए खुदरा व्यापारी कतई दोषी नही हैं फिर भी प्रार्थी जुर्म स्वीकार करते हुवे प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुवे लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निस्तारण के लिए सहमत है ।4 लोक अदालत की भावाना से किए गये निर्णय की अपील नही करेगा। कृप्या प्रकरण निस्तारण फरमावें तथा प्रार्थी को आईन्दा पेशी हाजरी माफी प्रदान करावें

गैरसायल द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है ।गैरसायल द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रार्थना की है जुर्म स्वीकार कर लेनें से गैरसायलान द्वारा अमानकव मिथ्या छाप सरसों का तेल anchor brand का विक्रय करनें के दोषी साबित है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा खाद्यं सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम2011 की धारा 51,52 में निर्धारित है । अतः लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुवे गैरसासयल नम्बर एक व दो पर सयुक्त रूप से रूपये 20,000 अखरे रूपयेबीस हजार मात्र की शास्ति अर्थ दण्ड आदेशित किया जाता है । आदेशित अर्थ दण्ड की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवम अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के न्यायालय में जरिये चालान अथवा बैंक ड्राप्ट के माध्यम से एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना पालना पेश करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.10 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैयालाल स्वामी)
न्याय निर्णयन अधिकारीएवम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर